बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0- 415176 / पटना, दिनांक 05/03/2019

ग्रा0वि0-06-न्या0/11-05/2019

श्री राधे प्रसाद एवं अन्य 05 जिला ग्रामीण विकास विभाग अभिकरण के कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं0-10075/2018 दायर किया गया । इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-14.08.2018 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है:-

"Learned counsel for the petitioners submits the fact of present case is identical to the fact of C.W.J.C. No. 10653 of 2008 (Anirudh Jha Vs. The State of Bihar & Ors.) and L.P.A. No. 2082 of 2015 (The State of Bihar & Ors. Vs. Anirudh Jha & Ors.), and the aforesaid judgment and order squarely covers the issue involved in the present case.

In such view of the matter, concerned authority is directed to examine the case of the petitioners and if it is found that present case is squarely covered by the aforesaid cases, the same benefit should also be extended to the present petitioners.

This Court is not giving any opinion on the merit of this case.

With the aforesaid observation and direction this writ petition is disposed of."

संचिका में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में छः याचिकाकर्ताओं में से एक (श्री राधे प्रसाद) द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है ।

इस रिट याचिका (सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10075/2018) में शामिल सभी छः याचिकाकर्ताओं के संबंध में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से सूचनाओं की माँग की गई । जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार याचिकाकर्ताओं से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है:-

रिट याचिका सं0/रिट याचिका दायर करने की तिथि	क्र.सं.	याचिकाकर्ता का नाम	संबंधित डी.आर.डी.ए. का नाम	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जन्म तिथि	जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
10075/2018 30.03.2018	1	श्री राधे प्रसाद	नालन्दा	03.07.1957	31.07.2017	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत्त
	2	मो0 अबदुल वहाव	नालन्दा	02.05.1957	31.05.2017	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत्त
	3	मो0 साहबुद्दीन अंसारी	नालन्दा	08.04.1963	30.04.2023	याचिका दायर करने की तिथि को सेवा में।

	4	स्व0 हरी राम	नालन्दा	09.07.1947	31.07.2005	(वर्ष 2001 में मृत) वादी पत्नी श्रीमती निर्मला देवी
	5	स्व0 महेश चौधरी	नालन्दा	01.01.1955	31.12.2014	(वर्ष 2012 में मृत) वादी पत्नी श्रीमती सविता देवी
	6	श्री जगरनाथ कनौजिया	अररिया	23.10.1951	31.10.2011	याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत्त

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्रम सं0-1,2,4,5 एवं 6 पर अंकित याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तिथि दिनांक-30.03.2018 को सेवानिवृत्त थे या मृत कर्मी की पत्नी द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति /मृत्यु के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया गया ।

पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यादि याचिकाकर्ता का दावा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 के याचिकाकर्ता श्री अनिरूद्ध झा के समरूप है, तो याचिकाकर्ताओं को भी श्री अनिरूद्ध झा के अनुरूप लाभ दिया जाना है । श्री अनिरूद्ध झा द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 वर्ष 2008 में दायर किया गया था । परन्तु उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2010 में हुई थी । परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 में दिनांक-27.04.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में रिट याचिका दायर करने की तिथि से श्री झा के सेवा समायोजन हेतु विभागीय संकल्प सं0-391415 दिनांक-28.09.2018 निर्गत किया गया ।

वित्त विभाग द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-16072/2011 एवं एल.पी.ए. सं0-1198/2013 में पारित आदेश के आलोक में बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों के सेवा समायोजन के संबंध में संकल्प सं0-796 दिनांक-02.02.2018 निर्गत किया गया है । इस संकल्प में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आदेश निर्गत की तिथि से बोर्ड/निगम/सोसाईटी के कर्मियों का सरकारी सेवा में समायोजन किया जायेगा ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10075/2018 में दिनांक-14.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री राधे प्रसाद, मो0 अबदुल वहाव, स्व0 हरी राम, स्व0 महेश चौधरी एवं श्री जगरनाथ कनौजिया, जो रिट याचिका दायर करने की तिथि को सेवानिवृत्त/मृत थे, का सरकारी सेवा में समायोजन संबंधी दावा श्री अनिरूद्ध झा के समरूप नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है । अन्य कर्मियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

सभी संबंधितों को सूचित करे ।

5/3/2019

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 415176 /

पटना, दिनांक 05/03/2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ उपर वर्णित याचिका से संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मी/विभागीय सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/2019

सरकार के सचिव